



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238789
CG-DL-E-14092022-238789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4080]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944

No. 4080]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

का.आ. 4261(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2513(अ) दिनांक 31 मई, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के झाँसी जिले में NH39 के कि.मी. 0 से कि.मी. 76.3 (एस एल ए ओ, झाँसी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 जून, 2022" को "दैनिक जागरण" और "टाईम्स ऑफ़ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के झाँसी जिले में NH39 के कि.मी. 0 से कि.मी. 76.3 (एस एल ए ओ, झाँसी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: झाँसी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मऊरानीपुर				
	गांव का नाम: भिटौरा				
1	365	निजी(एग्रकल्चरल्)	एग्रकल्चरल्	0.003	श्रीमती मेवा देवी पत्नी छन्दी नि. ग्राम तेजपुरा मजरा घुराट घमण्डी पुत्र जिन्दे नि. ग्राम, रज्जन पुत्र मोहन नि. ग्राम (365)
	गांव का नाम: पचौरो				
2	156	निजी(एग्रकल्चरल्)	एग्रकल्चरल्	0.012	रामरक्षपाल सिंह पुत्र भगतसिंह नि. स्यावनीखुर्द बृजपाल सिंह पुत्र भगतसिंह नि. स्यावनी खुर्द (156)
	गांव का नाम: सकरार				
3	956	निजी(एग्रकल्चरल्)	एग्रकल्चरल्	0.004	मोतीलाल पुत्र शिवचरन नि. ग्राम, शालिगराम पुत्र अयोध्या प्रसाद, ओमप्रकाश, कैलाश, रामनिवास पुत्रगण द्वारिका प्रसाद नि. ग्राम अंशुल पुत्र संजीव कुमार, श्रीमती पिंकी पत्नी संजीव कुमार नि. ग्राम नेमीचन्द्र पुत्र बल्देव प्रसाद नि. ग्राम (956)
4	959	निजी(एग्रकल्चरल्)	एग्रकल्चरल्	0.026	ओमप्रकाश, कैलाश, रामनिवास पुत्रगण द्वारिका प्रसाद नि. ग्राम, सुभाष चन्द्र जैन पुत्र बल्देव प्रसाद व मनोज जैन पुत्र सुभाष चन्द्र जैन नि. ग्राम सकरार, मुकेश कुमार पुत्र नेमीचन्द्र जैन नि. ग्राम, अंशुल पुत्र संजीव कुमार, श्रीमती पिंकी पत्नी संजीव कुमार नि. ग्राम, नीरज देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार पत्नी रामकृष्ण दीक्षित नि.

					ग्राम, हरप्रताप सिंह पुत्र वीरसिंह सेंगर नि. ग्राम, गयादीन पुत्र जंगी नि. ग्राम नुना तह. लिधौरा, जिला टीकमगढ़ ()
			कुल	0.045	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO/11012/09/2007/LA/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

S. O. 4261(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2513(E) dated 31st May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH39 on the stretch of land from Km. 0 to Km. 76.3 (S. L. A. O., Jhansi) in the district of JHANSI in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Times of India” both dated 19 June, 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH39 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 76.3 (S. L. A. O., Jhansi) in the district of JHANSI in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: JHANSI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mauranipur				
	Village: Bhitaura				
1	365	Private(Agricultural)	Agricultural	0.003	Smt. Mewa Devi W/o Chandi R/o Village Tejpura Majra Ghurat, Ghamandi S/o Jinde R/o Village Rajjan S/o Mohan R/o Village 365
	Village: Pachauru				
2	156	Private(Agricultural)	Agricultural	0.012	Ramrakshpal Singh S/o Bhagat Singh R/o Syawani Khurd, Brajpal Singh S/o

					Bhagat Singh R/o Syawani Khurd 156
	Village: Sakarar				
3	956	Private(Agricultural)	Agricultural	0.004	Motilal S/o Shivcharan R/o Village, Saligram S/o Ayodhya Prasad, Omprakash, Kailash, Ramniwas S/o Dwarika Prasad R/o Village, Anshul S/o Sanjeev Kumar, Smt. Pinky W/o Sanjeev Kumar R/o Village, Nemichandra S/o Baldev Prasad R/o Village 956
4	959	Private(Agricultural)	Agricultural	0.026	Omprakash, Kailash, Ramniwas S/o Dwarika Prasad R/o Village, Subhash Chandra jain S/o Baldev Prasad and Manoj Jain S/o Subhash Chandra Jain R/o Village Sakrar, Mukesh Kumar S/o Nemichandra Jain R/o Village, Anshul S/o Sanjeev Kumar, Smt. Pinky W/o Sanjeev Kumar R/o Village, Neeraj Devi D/o Rajendra Kumar W/o Ramkrishna Dixit R/o Village, Harpratap Singh S/o Veersingh Sengar R/o Village, Gayadeen S/o Jangi R/o Village Nuna Tehsil- Lidhoria Dist. Tikamgarh 959
			TOTAL	0.045	

[F. No. NHAI/BOT/DBFO/11012/09/2007/LA/3D1]

RAJESH GUPTA, Director